

ADMINISTRATION

No. 01/Admin./Corona (COVID-19)/Misc./2021/

It is to inform to all that another Covid-19 vaccination camp (**Covishield**) is to be organized soon for all serving employees and their dependents (age group 45 years and above) and all staff working under essential services of the University, residing both inside and outside the campus.

Therefore, all those who have been vaccinated for the first dose (**Covishield**) and they have to be given the second dose, or all those who have not yet been vaccinated, are requested to make sure to provide their details (name, age, vaccination status, phone number) to the Security Department (**Sh. Vakil Ahmad, Security Inspector, Phone numbers: 8130573744; 9312437374**) at any convenient time with immediate effect. The Covid-19 vaccination camp can be organized accordingly in the campus.

This issues with the approval of the Competent Authority.

[Prof. Ravikesh] Registrar

Date: 07.06.2021

Circulation:

- 1. All concerned
- **2.** CMO (SAG) for information
- **3.** J. R. (Estate)/CSO, for making adequate arrangements
- **4.** Director, CIS-with the request to display the above circular at the University Website/e-office/other online platforms
- **5.** Concerned file

orâ,fe,

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

प्रशासन

सं. 01/प्रशासन/कोरोना/(कोविड-19)/विविध/2021

दिनांकः 07.06.2021

सभी को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के सभी सेवारत कर्मचारियों और उनके आश्रितों (45 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग) और विश्वविद्यालय में तथा परिसर के बाहर रहने वाले सभी अनिवार्य सेवाओं के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण कैम्प (कोविशील्ड) का शीघ्र ही आयोजन किया जाना है।

अतः वे सभी कर्मचारी जिन्हें पहली डोज (कोविशील्ड) का टीका लग चुका है तथा उन्हें दूसरी डोज का टीका लगना है, अथवा वे सभी जिन्हें अभी तक टीका नहीं लगा है, सभी से अनुरोध है कि वे अपने विवरण (नाम, आयु, टीकाकरण की स्थिति, फोन नं.) सुरक्षा विभाग में सुविधाजनक समय पर (श्री वकील अहमद, सुरक्षा निरीक्षक, फोन नं. 8130573744, 9312437374) को तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करा दें। तद्नुसार परिसर में कोविड-19 कैम्प का आयोजन किया जा सके।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

्प्रो. रविकेश) कुलसचिव

प्रति/परिचालन

- 1. सभी संबंधित
 - 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसएजी) सूचनार्थ हेतु।
 - 3. संयुक्त कुलसचिव (संपदा)/मुख्य सुरक्षा अधिकारी आवश्यक प्रबंध करने के संबंध में।
 - 4. निर्देशक, सूचना एवं संचार सेवाएं अनुरोध है कि उपरोक्त परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट/ई-ऑफिस/अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाए।
 - 5. संबंधित फाइल